सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़, 1948 (श०)
संख्या - 340 राँची, बुधवार, 1 जुलाई, 2026 (ई०)

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

संकल्प

22 सितम्बर, 2023

विषयः-झारखण्ड राज्यान्तर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के वर्ग-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण संबंधी संकल्प संख्या-656 दिनांक--05.03.2021 को संशोधित करने के संबंध में ।

1. झारखण्ड राज्यान्तर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के वर्ग-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण संबंधी संकल्प संख्या-656, दिनांक-05.03.2021 एवं संकल्प संख्या-3494, दिनांक-05.12.2022 निर्गत है ।

2. साईकिल क्रय हेतु निविदा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के लिए तत्समय कक्षा-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को साईकिल वितरण की महत्वपूर्ण योजना निष्पादित नहीं हो पायी है । सभी पहलूओं पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी सभी कोटि के विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के लिए तत्समय कक्षा-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं जो वर्तमान में कक्षा-XI, कक्षा-X एवं कक्षा-IX अध्ययनरत् हैं को DBT के माध्यम से खाते में राशि उपलब्ध कराया जाय । वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू॰ 122.00 करोड़, 2021-22 में रू॰122.00 करोड़ एवं 2022-23 में रू॰122.00 करोड़ कुल रू॰ 366.00 करोड़ बजटीय उपबंध है, जिससे प्रति छात्र रू॰4500/-की दर से लगभग 8.15 लाख (आठ लाख पन्द्रह हजार) छात्र-छात्राएँ लाभान्वित होंगे।

3. वर्तमान तथा आगामी वित्तीय वर्षों के लिए खुली निविदा के माध्यम से साईकिल क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है । शैक्षिणक सत्र प्रत्येक वर्ष अप्रैल/मई से आरम्भ होता है । साईकिल क्रय हेतु निविदा की प्रक्रिया में लगभग 04 से 05 माह तक का समय सम्भावित होता है । अतः शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में ही झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी सभी कोटि के विद्यालयों में कक्षा-**8** में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को साईकिल वितरण की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु, वित्तीय वर्ष- 2024-25 के बजट उपबंध से वितरित की जानेवाली साईकिल की खुली निविदा की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण किए जाने का निर्णय लिया गया है ताकि, छात्र-छात्राओं को ससमय साईकिल प्राप्त हो सके।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में साईकिल योजना के बजट उपबंध का स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश निर्गत होने के उपरान्त साईकिल क्रय करने एवं संकल्प संख्या-656, दिनांक-05.03.2021 द्वारा निर्धारित राशि के अनुसार लगभग 2.71 लाख (दो लाख एकहत्तर हजार) अर्हत्ताधारी छात्र-छात्राओं को साईकिल वितरण किया जायेगा ।

4. वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के साईकिल योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के लिए बजटीय उपबंध की राशि जो **P/L** खाता में संधारित है से वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के लिए तत्समय कक्षा-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं जो वर्तमान में कक्षा-XI, कक्षा-X एवं कक्षा-IX अध्ययनरत् हैं

को DBT के माध्यम से खाते में राशि उपलब्ध कराया जायेगा । इस हेतु वित्त विभाग के पत्रांक-2008, दिनांक-03.07.2023 को शिथिल किया जाता है।

5. संकल्प संख्या- 656 दिनांक- 05.03.2021 को इस हद तक संशोधित एवं संकल्प संख्या-3494, दिनांक- 05.12.2022 को विलोपित किया जाता है ।

6. इस पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

7. इस पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

8. विभागीय संलेख ज्ञापांक-2004, दिनांक-06.09.2023 के क्रम में दिनांक-06.09.202**3** को मंत्रिपरिषद् के बैठक के मद संख्या-40 में उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है।

राजीव अरूण एक्का,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 340 - 50